अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–2463 / नौ–5–2012–147सा / 2010

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 09 मई, 2013

विषयः पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.02.2011 द्वारा प्रख्यापित एवं 02.07.2011 द्वारा संशोधित अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम–2011 का अनुपालन कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–5451/नौ–5–2011–147सा/2010, दिनांक–03.11.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–209, दिनांक–04.02.2011 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या–1258, दिनांक–02.07.2011 संलग्न कर प्रेषित करते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्ध और प्रहस्तन) नियम–2011 के निम्नलिखित नियम संख्या–4, 5, 6 एवं 10 अनुपालन कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना प्रत्येक त्रैमास स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से नियमित रूप से शासन उपलब्ध करायी जायः–

4. विहित प्राधिकरण :

विहित प्राधिकरण से निम्नलिखित प्राधिकरण अभिप्रेत है–

(क) रजिस्ट्रीकरण, विनिर्माण और पुनःचक्रण से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगीः

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबद्ध नगर पालिका प्राधिकरण विहित प्राधिकरण होगा।

5.शर्तें:

कैरी बैगों और सैशे के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायेंगी, अर्थातः–

(क) कैरी बैग या तो प्राकृतिक रंगत (रंगहीन) जो किसी मिलाये गये रंजकों के बिना हैं, या केवल उन रंजकों और रंगको के अनुसार होंगे जो खाद्य सामग्री, भेषजीय पदार्थो और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिक के उपयोग के लिए समय–समय पर यथा संशोधित, रंजकों और रंगक की सूची नामक भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 9833: 1981 के अनुरूप हैः

(ख) कोई व्यक्ति, खाद्य सामग्री को भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए पुनःचक्रित प्लास्टिक या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैगों का उपयोग नहीं करेगाः

(ग) कोई व्यवित, किसी अप्रयोज्य या पुनःचक्रित या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने किसी कैरी बैग का जो मोटाई में 40 माइक्रोन्स से कम है, विनिर्माण, भंडार वितरण या विक्रय नहीं करेगाः

(घ) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिकी हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगाः

(ड.) पुनःचक्रित कैरी बैग, समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा. 14534: 1998 के अनुरूप होंगेः

(च) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने कैरी बैग समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भा.मा./भा. मा.सं. 17088: 2008 के अनुरूप होगेंः

(छ) प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी भी रूप में गुटखा, पान मसाला और सभी रूपों में तम्बाकू की पैंकिग के लिए नहीं किया जायेगाः

6. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधः

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध निम्न प्रकार होगाः

(क) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति या व्ययन समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार किया जाएगाः

(ख) प्लास्टिक का पुनःचक्रण, समय समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के भा.मा. 14534 : 1998 के अनुसार किया जाएगाः

(ग) नगर पालिका प्राधिकरण, अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, उसका प्रचालन और उसके समन्वय के लिए तथा निम्नलिखित सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्ः

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करनाः

(ii) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रकिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न होः

(iii) विनिर्माणकर्ताओं सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित करनाः

(iv) पुनःचक्रित करने वालों को इसका प्रणालन सुनिश्चित करनाः

(v) सभी पर्णधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करनाः

(vi) अपशिष्ट प्रबंध में, अपशिष्ट चुनने वालों सहित कार्य करने वाले अभिकरणों या समूहों को लगाना और

(vii) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट का खुले में जलाया जाना अनुज्ञात नहीं होगाः

(घ) (i) प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए संग्रहण प्रणालियों का गठन के लिए सम्बद्ध नगर निकाय का उत्तरदायित्व होगा और इस प्रयोजन के लिए उक्त नगर निकाय, प्राधिकरण प्लास्टिक कैरी बैगों, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउचों या थैलियों के विनिर्माता या ऐसे, ब्रांड स्वामी जो ऐसे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, की सहायता ले सकेगा,

(ii) नगर पालिका प्राधिकरण, उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व पर आधारित किया विधि की रूपात्मकता पर कार्य कर सकेगा, जिसमें ऐसे विनिर्माता जिनकी अधिकारिता के भीतर राष्ट्रीयकृत कार्यालय हैं और ऐसे ब्राण्ड स्वामी जिनकी अधिकारिता के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हैं, को अन्तवर्लित करते हुए यथासाध्य या तो वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से अपने स्वयं के अभिकरणों के माध्यम से संग्रहण प्रणालियों के गठन पर कार्य कर सकेगा,

(ड.) पुनःचक्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनःचक्रण सुविधाएं, भारतीय मानक ब्यूरो के प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक भा.मा. 14535 : 1998 के अनुसार हैं और समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन नियमों के अनुपालन में हैं:

(च) संबद्व नगर पालिका प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पुनः चक्रण प्रकिया से उत्पन्न अवशेष, समय समय पर यथा संशोधित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और प्रहस्तन) नियम, 2000 की अनुसूची 2 ओर अनुसूची 3 (लैंड फिल साइड्स के लिए विनिर्देश) के अनुपालन में व्ययनित किए गए हैं:

(छ) नगर पालिका प्राधिकरण, सभी शहरी स्थानों निकायों के नगर निकाय उपविधियों में उक्त नियमों को सम्मिलित करेगाः

(ज) नगर पालिका प्राधिकरण, ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करके जैसे सड़क निर्माण में, सह–भष्मीकरण आदि द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। ऐसी प्रौद्योगिकी को उपयोग करने के लिए आशयित नगर पालिका प्राधिकरण या प्रचालक इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रदूषण नियन्त्रण सन्नियमों सहित विहित मानकों का अनुसरण सुनिश्चित करेंगे।

10.कैरी बैगों की कीमत सुनिश्चित करनाः

कोई भी कैरी बैग, उपभोक्ता को फुटकर विक्रेता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। संबद्व नगर निकाय प्राधिकरण,अधिसूचना द्वारा कैरी बैगों के लिए, उनकी क्वालिटी और साइज पर आधारित जिसमें उनकी सामग्री और अपशिष्ट प्रबंधन लागत भी सम्मिलित है, उनके पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को कम किया जा सके, न्यूनतम कीमत अवधारित करेगा।''

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–5451/नौ–5–2011–147सा/2010, दिनांक–03.11.2011 द्वारा जारी किये गये निर्देशो के क्रम में अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 के संदर्भित नियमों/उपबन्धों तथा वर्णित व्यवस्था का कियान्वयन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से प्रत्येक त्रैमास निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. प्रकरण का समन्वय निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त जनपदों में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। इस क्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा यथावश्यकता अपने स्तर पर सम्बन्धितों/उत्तरदायी अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक भी की जाय तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित करते हुए शासनादेश में यथानिर्देशित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/नगर विकास (गंगा सेल)
7. कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव